राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
जिला–बाड़मेर

प्रार्थी	**विप्रार्थीगण**
1. रूखमणा राम पुत्र धीराराम जाति सुनार निवासी औगाला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. धीराराम पुत्र रामचन्द्र 2. पताराम पुत्र धीराराम 3. ओमप्रकाश पुत्र धीराराम 4. माणकचन्द पुत्र धीराराम जाति सुनार निवासी औगाला तहसील सेड़वा हाल निवासी दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर, राजस्थान। 5. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 180 /2025

17/06/25 प्रार्थी रूखमणा राम पुत्र धीराराम जाति सुनार निवासी ओगाला तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **श्री मांगीलाल जयपाल** ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 40, 92 क, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 6 व 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा ओगाला पटवार क्षेत्र ओगाला भू.अ.नि. पनोरिया के नया खाता संख्या 115 के खसरा संख्या 773/589 रकबा 6–8635 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के **खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा** का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा ओगाला पटवार क्षेत्र ओगाला भू.अ.नि. पनोरिया के नया खाता संख्या 115 के खसरा संख्या 773/589 रकबा 6–8635 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थीगण वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 08/08/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

08/08/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 19/09/25 को पेश हो।

19/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी [illegible]। प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। चूंकि मूलवाद अदम हाजरी / [illegible] खारिज किया जा चुका है, तो इस आवेदन को आगे [illegible] का कोई औचित्य नहीं है अतः इस आवेदन की कार्यवाई इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:46:43 IST
Reason: SelfAttested